संख्या– / xxxii(1)/2015/11/(6)/2015

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2015

विषयः– **जनपद चमोली के भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में मिनी सचिवालय निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महाप्रबन्धक अवस्थापना (Infrastructure), वाप्कोस लिमिटेड के पत्र संख्या–WAP/INFRA/MS–UK/2015,दिनांक 09.03.2015 के माध्यम से उपलब्ध कराये आगणन के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली के भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में मिनी सचिवालय निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 5678.00 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त **संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 2796.00 लाख एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के अनुसार ₹ 2575.00 लाख मात्र अर्थात कुल धनराशि ₹ 5371.00 लाख (₹ तिरपन करोड़, इकहत्तर लाख मात्र)** के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या–1596/xxxii(1)/01(एक)–01/बजट–मुख्य/(द्वितीय अनुपूरक)/2014–15, दिनांक 26 दिसम्बर 2014 एवं अलोटमेंट आई डी–H1412071179 दिनांक 19 दिसम्बर 2014 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गई धनराशि में सें **प्रथम किश्त** स्वरूप धनराशि **₹ 275.94 लाख (₹ दो करोड़, पिचहत्तर लाख, चौरानब्बे हजार मात्र)** को व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. महाप्रबन्धक, अवस्थापना, वाप्कोस लिमिटेड (WAPCOS LIMITED) 76–सी, सैक्टर–18, इन्स्टीट्यूश्नल एरिया, गुड़गॉव, हरियाणा प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि ₹ 275.94 लाख (₹ दो करोड़, पिचहत्तर लाख, चौरानब्बे हजार मात्र) का निम्न शर्तो के अधीन नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेगें–

(1) वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करा लिया जायेगा।

(2) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(5) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरुप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(6) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगें।

(7) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रुप से प्राप्त कर ली जाये।

(8) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या–2047/xxxIV–219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) उक्त कार्य एवं कार्य से संबंधित सामग्रियों का क्रय एवं भुगतान के संबंध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008 में प्राविधानित नियमों एवं दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/xxxii(1)/2008 दि0 15.12.2008 के अनुसार एम0ओ0यू0 कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(11) उक्त कार्य हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(12) उक्त के अतिरिक्त व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 28 मार्च 2015 की संस्तुति के क्रम में उल्लेख किया जाना है कि चूंकि वापकोस द्वारा डी0एस0आर0 की दरों के आधार पर विस्तृत आगणन तैयार किया गया है तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन नही किया जा रहा है। अतः इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि कार्यदायी संस्था वापकोस द्वारा अपने कार्य प्रदर्शिका, वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा डी0एस0आर0 के नियमो का अक्षरशः पालन करेगें तथा सुनिश्चित करेंगे की त्रुटिवश कोई फाइनेशनल डुप्लीकेसी हुई हो तो उसका तत्काल निराकरण करेगे।

3. **वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा धनराशि ₹ 275.94 लाख (₹ दो करोड़, पिचहत्तर लाख, चौरानब्बे हजार मात्र) को वाप्कोस लिमिटेड (WAPCOS LIMITED) के INDIAN OVERSEAS BANK के National Horticulture Board शाखा के खाता संख्या–193502000000028, आई.एफ.एस.सी.कोड संख्या–IOBA0001935, MICR110020069 में नियमानुसार जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।** खाता धारक का पैन न0–AAACWo764A तथा सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन न0 AAACW0764AST001 है।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष–2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत –02 शहरी आवास–800–अन्य भवन–19–जनपद चमोली के भराड़ीसैण (गैरसैण) में मिनी सचिवालय का निर्माण–24–वृहत निर्माण के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–226 **P**/XXVII(5)/2014–15, दिनांक 31 मार्च 2015 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0 संख्या– 339 (1)/xxxii(1)2015/11(05)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून ।
2– वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0राज्य सम्पत्ति मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6– महाप्रबन्धक, अवस्थापना, वाप्कोस लिमिटेड (WAPCOS LIMITED), 76–सी, इन्स्ट्यूशनल एरिया, सैक्टर–18, गुड़गॉव, हरियाणा ।
7– मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग देहरादून को इस निर्देश के साथ कि एन. आई.सी. में अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
8– व्यवस्थाधिकारी, आवास, राज्य सम्पत्ति विभाग देहरादून।
9– वित्त अनुभाग–5/नियोजन विभाग/बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन।
10– निदेशक एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।
11– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।